

सेवा में,

श्रीमान अपीलीय प्राधिकारी/निदेशक,  
केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान,  
हिम्मत नगर, सहारनपुर।

विषय—दिनांक 12.9.2016 को जनसूचना उपलब्ध कराये जाने की बाबत दिये  
गये प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने के विरुद्ध प्रथम अपील—  
महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा जनसूचना अधिकारी केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान, सहारनपुर से दिनांक 12.9.2016 को संलग्न प्रपत्र के माध्यम से दिनांक 26.10.2015, 14.7.2016 एवं 21.7.2016 को दिये गये प्रार्थना पत्रों के माध्यम से जो डॉक्टर रजनीश टण्डन के विरुद्ध दिये गये थे, उनकी बाबत उन पर कृत कार्यवाही की सूचना मांगी गयी थी, परन्तु जनसूचना अधिकारी द्वारा बिना समुचित कारण के उक्त सूचनाएं देने से इन्कार किया गया है, जो कि जनसूचना अधिनियम 2005 की धारा-8(I)(j) के अन्तर्गत छूट प्राप्त होने की बात कही गयी है, जो बिल्कुल निराधार है, क्योंकि उक्त सूचना उक्त क्लॉज के तहत विशेषधिकार की श्रेणी में नहीं आती है तथा उक्त सूचना उपलब्ध न करायी जाकर जनसूचना अधिनियम का उल्लंघन किया गया है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.9.2016 के प्रपत्र के माध्यम से मांगी गयी सूचना उपलब्ध करायी जाये। आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक—05.10.2016

प्रार्थी

नन्दकिशोर त्यागी पुत्र स्व० श्री  
सोमदत्त त्यागी, निवासी ग्राम  
डंघेडा, जिला सहारनपुर।

Sh. Anoop Saxena  
Krandan  
7/10/16

नं.सीपीपीआरआई/आरटीआई/238/2016/13(आई)/ 141

दिनांक: सितम्बर 22, ,2016

श्री नन्द किशोर त्यागी,  
पुत्र श्री सोमदत्त त्यागी,  
ग्राम. व पोस्ट. इधेड़ा  
जिला-सहारनपुर-247551

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम-२००५ के अंतर्गत प्राप्त आवेदन के संबंध में।


महोदय,

कृपया अपने प्रार्थना पत्र दिनांकित 12.9.16 (संस्थान में प्राप्ति 15.9.16) जो कि सूचना का अधिकार, अधिनियम - 2005 के अंतर्गत इस संस्थान को प्रेषित है का संदर्भ लें।

इस संबंध में संस्थान के संबन्धित विभाग से प्राप्त सूचना पत्रांक: CPPRI/P/M/3/9/VII दिनांकित 22.9.16 द्वारा संलग्न की जाती है।


इस पत्र के साथ आर.टी.आई. फीस रु.१०/- (IPO 36F 551089) की पावती स. सीपीपीआरआई/आर.टी.आई./238/ दिनांकित 15.9.16 भी संलग्न है।

भवदीय,

  
(बी.पी.थपलियाल) 22/9/16  
जन सूचना अधिकारी

संलग्नक: यथोक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ :



प्रभारी निदेशक, केन्द्रीय पल्प एवं पेपर अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर

केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान  
सहारनपुर

Ref.No. CPPRI/P/M/3/09/VII

Dated 22.9.2016

ION

कृपया अपने पत्र संख्या सीपीपीआरआई/आरटीआई/238/2016/13 (आई) दिनांक सितम्बर 15, 2016 का संदर्भ ग्रहण करे जिसके द्वारा श्री नन्द किशोर त्यागी, जिला-सहारनपुर का एक आवेदन सूचना के अधिकार के अन्तर्गत इस विभाग को सूचना उपलब्ध कराने के लिए अग्रसारित किया गया है। इस संबंध में बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार से उपलब्ध कराई जाती है:-

आवेदन में मांगी गई सूचना, सूचना के अधिकार 2005 के नियम 8(1)(j) के अन्तर्गत छूट प्राप्त है। इस संबंध में Govt. of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training का Office Memorandum No. 11/2/2013-IR(Pt.) dated 14<sup>th</sup> August, 2013 भी सलग्न किया जा रहा है।

सलग्नक: उपरोक्तानुसार

अनुमोदित

(ए.के. सक्सैना)  
अनुभाग अधिकारी

डा. बी. पी. थपलियाल  
जन सूचना अधिकारी  
केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान  
सहारनपुर- 247 001

No. 11/2 2013-IR (PU)  
Government of India  
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions  
Department of Personnel & Training

North Block, New Delhi,  
Dated the 14th August, 2013

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Disclosure of personal information under the RTI Act, 2005.

The Central Information Commission in one of its decisions (copy enclosed) has held that information about the complaints made against an officer of the Government and any possible action the authorities might have taken on those complaints, qualifies as personal information within the meaning of provision of section 8(1)(j) of the RTI Act, 2005

2. The Central Information Commission while deciding the said case has cited the decision of Supreme Court of India in the matter of Girish R. Deshpande vs. CIC and others (SLP (C) no. 27734/2012) in which it was held as under:-

*The performance of an employee/Officer in an organisation is primarily a matter between the employee and the employer and normally those aspects are governed by the service rules which fall under the expression 'personal information'. The disclosure of which has no relationship to any public activity or public interest. On the other hand the disclosure of which could cause unwarranted invasion of the privacy of that individual. The Supreme Court further held that such information could be disclosed only if it would serve a larger public interest.*

3. This may be brought to the notice of all concerned

Enc: As above

*M. Mahesh Joshi*  
(Mahesh Joshi)  
Joint Secretary (AT&A)  
Tel: 23093668

1. All the Ministries/Departments of the Government of India
2. Union Public Service Commission, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Cabinet Secretariat, Central Vigilance Commission, President's Secretariat, Vice-President's Secretariat, Prime Minister's Office, Planning Commission, Election Commission
3. Central Information Commission, State Information Commissions
4. Staff Selection Commission, COO Complex, New Delhi
5. O/o the Comptroller & Auditor General of India, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi
6. All offices/Depts/Sections: DOP&T and Department of Pension & Pensions Welfare

